

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

बिरदा राम बनाम तहसीलदार धोद  
 किस्म मुकदमा 5750 अ. धा. 136CR/24 मु.नं. 419 वर्ष 2025

| दिनांक  | आज्ञा - पत्र  |
|---------|---|
| 29/9/25 | <p>प्रार्थी बिरदा राम पुत्र बेगा राम जाति जाट निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरझूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 436 व 33 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम बिड़दीचन्द पुत्र बेगाराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम बिरदा राम पुत्र बेगा राम है। प्रार्थी के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का सही नाम बिरदा राम पुत्र बेगा राम दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम बिड़दीचन्द पुत्र बेगाराम के स्थान पर बिरदा राम पुत्र बेगा राम दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/09 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एकट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का मोरझूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 436 व 33 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम बिड़दीचन्द पुत्र बेगाराम के स्थान पर बिरदा राम पुत्र बेगा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/09 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> |



उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला सीकर

